निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 22 **पटना, बुधवार,** 7 ज्येष्ठ 1947 (श0)
28 मई 2025 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**02-22**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**23-26**
पूरक	---
पूरक-क	**27-29**

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

25 अप्रील 2025

सं0 02स्था०–20/2024–**981**/वि०स०।––श्री रविन्द्र पंडित, अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, जो वेतन स्तर–11 में प्रतिमाह अंके–67,700/–रू वेतन पाते हैं, को बिहार राज्य सरकारी सेवक एल.टी.सी. नियमावली 1986, वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या–3एम–2–भत्ता–12/99–खंड–8/4252 वि० (2), दिनांक–22.06.2000 की कंडिका–12 तथा इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प सं०–8043, दिनांक–11.10.2017 की कंडिका–3(G) के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष–2022–25 में एल.टी.सी. सुविधा के तहत सपरिवार (पत्नी एवं दो बच्चों तक) के साथ दिनांक–29.04.2025 से 05.05.2025 तक पटना से वैष्णो देवी (जम्मू एवं कश्मीर) एवं वैष्णो देवी (जम्मू एवं कश्मीर) से पटना वापसी यात्रा के निमित छुट्टी यात्रा रियायत (L.T.C.) की सुविधा प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान–सभा के आदेश से,
सुधीर कुमार सिंह, अवर सचिव।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं
5 मार्च 2025

सं0 निग/सारा–(निगम) वि०नि०ई०था०कां०–04/2022–1868(s)––बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–2447 अनु0 दिनांक–18.08.2022 के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, पटना के पत्रांक–1073 दिनांक–17.08.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अरूण कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना के विरूद्ध रिश्वत लेने से संबंधित मामले में धारा–7 भ्र०नि०अधि०, 1988 के तहत विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या–11/2022, दिनांक–16.08.2022 दर्ज किया गया है। पुनः निगम के पत्रांक– 2676 दिनांक– 05.09.2022 के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, पटना के पत्रांक–1139/11/2022/SVU/Pat, दिनांक–05.09.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि विशेष निगरानी इकाई, पटना के गठित धावा दल के द्वारा दिनांक–17.08.2022 को श्री कुमार के द्वारा परिवादी श्री गणेश कुमार से रू0 50,000/–(पच्चास हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें दिनांक–18.08.2022 से न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनके गृह तलाशी के क्रम में रू0 **19,50,000**/– (उन्नीस लाख पच्चास हजार रूपये) की राशि एवं कुछ संदेहात्मक दस्तावेज जब्त किये गये है, जिसकी जाँच की जा रही है। प्रश्नगत मामले में सम्यक् विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–5503 (एस) दिनांक–04.11.2022 के द्वारा श्री अरूण कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभिंयता (कार्यकारी व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (2)–क के अन्तर्गत दिनांक–17.08.2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री कुमार द्वारा उपर्युक्त विशेष निगरानी थाना कांड में माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना से निर्गत मुक्ति आदेश के आलोक में दिनांक–02.01.2023 को केन्द्रीय कारा, बेउर से मुक्त होने का संदर्भ देते हुए दिनांक–03.01.2023 के पूर्वाह्न में विभाग में योगदान समर्पित किया गया।

3. प्रश्नगत मामले में सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–2106 (एस) दिनांक–12.04.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (3) (i) के प्रावधान के आलोक में श्री कुमार के

द्वारा दिनांक–03.01.2023 के पूर्वाह्न में योगदान समर्पित किये जाने की तिथि से उन्हे निलंबन मुक्त करते हुए उनके योगदान को स्वीकृत किया गया।

4. श्री कुमार के विरूद्ध दर्ज विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या–11/2022, दिनांक–16.08.2022 सम्प्रति अनुसंधानरत रहने एवं पूर्व में इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने पर भी निर्णय लिए जाने के कारण सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (3) (ii) के प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2108 (एस) दिनांक 12.04.2023 के द्वारा योगदान की तिथि 03.01.2023 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया।

5. तदोपरांत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम तथा पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–3035 (एस) दि० 31.05.2023 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में उनके अभ्यावेदन दिनांक–09.06.2023 के द्वारा कुल चार बिन्दुओ के तहत साक्ष्य/अभिलेख की माँग की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–5367 (एस) दिनांक–05.09.2023 के द्वारा उनको निदेश दिया गया कि स्वयं संबंधित कार्यालय से संपर्क कर उक्त अभिलेख प्राप्त कर सकते है। तदोपरांत उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–06.02.2024 के द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से वांछित साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने का उल्लेख करते हुए पूर्व में समर्पित पत्रांक–शून्य दिनांक–09.06.2023 में याचित अभिलेख विभाग के स्तर से ही उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–3421 (एस) अनु0 दिनांक–22.07.2024 के द्वारा वाछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से अनुरोध किया गया। निगम के पत्रांक–4704 अनु0 दिनांक–19.11.2024 के द्वारा द्वारा श्री कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक–09.06.2023 के कंडिका–02 से 04 में याचित अभिलेख विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसे विभागीय पत्रांक–205 (एस) अनु0 दिनांक–09.01.2025 के द्वारा श्री कुमार को भेजते हुए सात दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण उतर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। परंतु वांछित स्पष्टीकरण उतर सम्प्रति अप्राप्त है।

6. इसके साथ हीं आलोच्य मामले में श्री कुमार के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक–341/जे०, दिनांक 06.07.2023 के द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत है। इस मामले में इनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दायर किये जाने की सूचना सम्प्रति अप्राप्त है।

7. इसी क्रम में श्री कुमार निलंबन अवधि में हीं दिनांक–31.12.2024 को वार्धक्य रूप से सेवानिवृत हो गये है। वित्त विभाग के पत्र ज्ञापांक–12753 दिनांक–26.11.1970 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री अरूण कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभिंयता (कार्यकारी व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना सम्प्रतिः निलम्बन अवधि में सेवानिवृत को उनके सेवानिवृति की तिथि–31.12.2024 के अपराह्न से निलंबन मुक्त किया जाता है, जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव इनके विरूद्ध की जा रही अनुशासनिक कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शीर्षत कपिल अशोक, विशेष सचिव।

---

20 मार्च 2025

सं0 निग/सारा–मुक0–16/2024–2496(s)––एन०आर०ई०पी० सहरसा के पदस्थापन काल में श्री हरि किशोर सिन्हा, सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को दिनांक–14.03.2007 को निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथ रू0 2000/– रिश्वत लेते गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजे जाने एवं इनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0 35/2007 दर्ज किये जाने के आलोक में इन्हे अधिसूचना सं0–5489 (एस) दिनांक–26.04.2007 के द्वारा दिनांक–14.03.2007 से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–12404 (एस) अनु0 दिनांक–26.10.2007 के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. इसी बीच श्री सिन्हा द्वारा दिनांक–14.11.2007 को जमानत पर रिहा होने के पश्चात दिनांक–15.11.2007 को योगदान समर्पित किये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–14578 (एस) दिनांक–14.12.2007 के द्वारा श्री सिन्हा को योगदान की तिथि 15.11.2007 से निलंबनमुक्त किया गया।इसके साथ हीं विभागीय अधिसूचना सं0–14585 (एस) दिनांक–14.12.2007 के द्वारा पुनः तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भतादिये जाने का निर्णय लिया गया।

3. श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–13/सी अनु0 दिनांक–23.01.2014 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन मे आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–3928 (एस) दिनांक–20.05.2014 द्वारा श्री सिन्हा को तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया।

4. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.-961/15 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–16.04.2018 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7165

(एस) दिनांक–17.09.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक–7465(एस) दिनांक–26.09.2018 (संशोधन) के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

5. माननीय न्यायालय के उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में अधिसूचना सं0–7159 (एस) दिनांक–17.09.2018 द्वारा दंडादेश अधिसूचना सं0–3928 (एस) दिनांक–20.05.2014 को वापस लेते हुए श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर नए सिरे जाँच की कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ हीं अधिसूचना सं0–7161 (एस) दिनांक–17.09.2018 के द्वारा श्री सिन्हा को उनके बर्खास्तगी की तिथि 20.05.2014 के प्रभाव से निलंबित समझे जाने तथा बर्खास्तगी की तिथि से सेवानिवृति की तिथि 31.12.2014 तक मात्र जीवन निर्वाह भता अनुमान्य किया गया। तदोपरांत संकल्प ज्ञापांक–8174 (एस) अनु0 दिनांक–26.10. 2018 के द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

6. श्री सिन्हा के विरूद्ध नए सिरे से संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या–48/18 में प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग–सह–जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक–65 दिनांक–21.04.2023 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन मे आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य/अनुशंसा से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–2890 (एस) अनु0 दिनांक–25.05.2023 के द्वारा श्री सिन्हा से प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गयी।

7. उक्त के आलोक में श्री सिन्हा के पत्रांक–शून्य दिनांक–22.06.2023 के द्वारा विभाग को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में अंकित तथ्यों के विभागीय समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत**''पेंशन शून्य''** किये जाने के दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का निर्णय प्राप्त किया गया।

8. अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–4918 (एस) अनु0 दिनांक–14.08.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक–2728 दिनांक–02.11.2023 द्वारा प्रश्नगत मामले में पूर्व में पत्रांक 2831 दिनांक–25.03.2014 द्वारा दिये गये परामर्श का संदर्भ देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के अधिसूचना सं0–9794 दिनांक–22.07.2019 के कंडिका–7 के आलोक में आयोग का परामर्श आवश्यक नही रहने की स्थिति में विभागीय प्रस्ताव को बिना आयोग के परामर्श के वापस किया गया।

9. उपर्युक्त की गयी समीक्षा के आलोक में आरोपी श्री हरि किशोर सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में विभागीय अधिसूचना संख्या–1953(एस) दिनांक–02.05.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत श्री सिन्हा के विरूद्ध पेंशन शून्य किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

10. श्री सिन्हा के द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध Memorial दिनांक–24.06.2024 विभाग को समर्पित किया गया। साथ हीं उक्त दण्ड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.-13953/2024 हरि किशोर सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें विभाग की ओर से प्रतिशपथ–पत्र दायर किये जाने के पूर्व ही दिनांक–12.09.2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामले को निम्न निदेश के साथ Disposed off कर दिया गया :–

In this background, it transpires to this Court that the statutory Memorial is pending before the Respondent No.3. As such, the present writ petition is hereby disposed off directing the Respondent No.3 (The Additional Chief Secretary, Road Construction Department, Govt. of Bihar) to pass final order on the said Memorial within 3 months from the date of production of this order.

11. उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री सिन्हा के पत्रांक–शून्य दिनांक–16.09.2024 के माध्यम से विभाग में Memorial समर्पित किया गया। श्री सिन्हा के समर्पित Memorial में मुख्य रूप से अंकित कंडिकावार तथ्य एवं विभाग के द्वारा किये समीक्षा निम्नवत है :–

(i) प्राप्त Memorial की कंडिका–1 से 5 तक में श्री सिन्हा ने इनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–35/2007 के घटनाक्रम से संबंधित तथ्यों को अंकित किया है, जिसके संबंध में अग्रतर निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। प्रश्नगत मामला सम्प्रति माननीय निगरानी न्यायालय में विचाराधीन है।

(ii) Memorial की कंडिका–6 में श्री सिन्हा ने मुख्यतः अंकित किया है कि उनके विरूद्ध गठित आरोप पूर्णतः इनके विरूद्ध निगरानी द्वारा दायर FIRपर आधारित है। इसी क्रम में श्री सिन्हा द्वारा Capt. M. Paul Anthony Vs. Bharat Gold Mines, AIR 1999 SC 1416 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का संदर्भ देते हुए विभागीय कार्यवाही को आपराधिक काण्ड के फलाफल तक रोके जाने का तर्क दिया गया है।

(iii) उक्त के संबंध में Capt. M. Paul Anthony Vs. Bharat Gold Mines, AIR 1999SC 1416 मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आपराधिक काण्ड के निष्पादन होने तक

विभागीय कार्यवाही को रोके रखा जाना Mandatory नहीं है, बल्कि कई स्थितियों में विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक कार्यवाही को समानान्तर रूप से चलाये जाने का भी अभिमत है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रस्तुत मामले में श्री सिन्हा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-961/2015 में दिनांक–16.04.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सिन्हा के विरूद्ध नये सिरे से बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। वर्त्तमान में संचालित विभागीय कार्यवाही को नियमानुसार अंतिम रूप से निष्पादित किया जा चुका है और श्री सिन्हा के विरूद्ध दण्ड अधिरोपित किया जा चुका है। अब श्री सिन्हा द्वारा विभागीय कार्यवाही को लंबित रखे जाने का तर्क दिये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं।

(iii) Memorial की कंडिका–7 में श्री सिन्हा ने मुख्यतः परिवादी श्री संतोष कुमार झा के विभागीय कार्यवाही में प्रतिपरीक्षण नहीं किये जाने के आलोक में इनके विरूद्ध गठित आरोप को unsubstantiatedबताया गया है। साथ ही इनके विरूद्ध निगरानी पदाधिकारी द्वारा लगाये गये आरोप को झूठा बताया गया है।

(iv) श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में मामले से संबंधित गवाह (1) श्री महेश कुमार, सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक, (2) श्री प्रकाश कुजुर, तत्कालीन सिपाही–सह–सत्यापनकर्त्ता, (3) श्री चन्द्रभूषण कुमार सिंह, अवर निरीक्षक, (4) श्री पवन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक तथा (5) श्री ललन प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक का परीक्षण कराये जाने का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि Trap से संबंधित मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–12787 दिनांक–28.08.2015 के कंडिका–8 के अनुसार दो या तीन गवाहों की गवाही को पर्याप्त माना गया है।

(v) Memorial की कंडिका–8 एवं 9 में श्री सिन्हा ने मुख्यतः योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कतिपय प्रावधान तथा मामले में परिवादी श्री संतोष कुमार झा के द्वारा योजना की तकनीकी स्वीकृति से संबंधित होने के बिन्दुओं को अंकित किया है।

(vi) उक्त के संबंध में समीक्षोपरांत पाया गया कि वर्णित बिन्दु श्री सिन्हा के विरूद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन निगरानी थाना काण्ड संख्या–35/2007 से संबंधित है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है।

12 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सिन्हा के समर्पित Memorial की कंडिकावार समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि इनके Memorial में कोई ठोस तथ्य/साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे इनके विरूद्ध गठित आरोप का खण्डन हो सके। अतएव श्री सिन्हा के समर्पित Memorialको उक्त के आलोक में अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शीर्षत कपिल अशोक, विशेष सचिव।

---

2 अप्रील 2025

सं0 निग/सारा–6 (मं0नि0)द0बि0(ग्रा0)–21/2007–2856(s)— श्री विनय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता–सह–वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पटना प्रमंडल सं0–02, सम्प्रतिः सेवानिवृत द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना प्रमंडल सं0–02 के पदस्थापन काल में रंगे हाथों रिश्वत लेने के आरोप में दिनांक–24.10.2007 को गिरफ्तार होने तथा उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0–119/2007 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–13679 (एस), दिनांक 29.11.2007 के द्वारा उन्हें दिनांक–24.10.2007 से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–11992 (एस) अनु0 दिनांक–15.09.2008 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में उनके विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत है :–

(i) वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना प्रमण्डल संख्या–02 पटना के पदस्थापन काल में श्री हरेन्द्र सिंह संवेदक, सुधीर कुमार सिंह संवेदक निबंधन संख्या–41 (2007–08) के पार्टनर से नगरा, छपरा जिला के खैरा सत्तरघाट में 6वें कि०मी० में नगरा बाजार के उत्तर तरफ गंडक नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य के मामले में श्री सिंह द्वारा 20,000/– (बीस हजार) रूपये रिश्वत की मांग की गयी। प्राप्त शिकायत पत्र पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरों के गठित धावा दल द्वारा दिनांक–24.10.2007 को पटना स्थित कार्यालय से 20,000/– (बीस हजार) रूपये के साथ रिश्वत लेते रंगे हाथ श्री सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस प्रकार आपने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3 का उल्लंघन कर भ्रष्ट आचरण किया है और इसके लिए आप दोषी हैं।

2. संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–700 दिनांक–27.08.2012 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार के आदेश से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(1) में निहित प्रावधान के तहत पुर्नजाँच हेतु विभागीय पत्रांक–7904 (एस) अनु० दिनांक–03.10.2013 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को भेजी गयी।

3. इसी बीच विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होने के पूर्व ही श्री विनय कुमार सिंह, दिनांक–31.12.2021 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5986(एस) दिनांक–08.12.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। साथ हीं वित विभाग के पत्र ज्ञापांक–12753 दिनांक–26.11.1970 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–5956(एस) सहपठित ज्ञापांक–5957(एस) दिनांक–07.12.2022 द्वारा श्री सिंह को उनके सेवानिवृति की तिथि–31.12.2021 के अपराहन से निलंबन मुक्त किया गया।

4. सचिव–सह–जाँच आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3429 दिनांक–10.07.2023 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत इनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–6187(एस) अनु० दिनांक–16.10.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के रूप में लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

5. श्री सिंह के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–03.11.2023 द्वारा विभाग को द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया। जिसके तहत मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि परिवाद का सत्यापन संदेह पूर्ण होना, परिवादी का सत्यापन में भाग लेने का कोई साक्ष्य न होना, उनका सत्यापन प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर न होना, रिश्वत के मांग का कोई स्वतंत्र गवाह न होना, कोई विपत्र साक्ष्य के रूप में पटल पर न होना, परिवादी का पार्टनर होने संबंधी कोई साक्ष्य न होना, परिवादी का Post Trap Memo के किसी भी पृष्ठ पर हस्ताक्षर न होना, परिवादी का हाथ न धुलाना, बरामद नोट तथा जब्त पैंट को जाँच हेतु F.S.Lलैब न भेजना, तथा कथित रिश्वत की मांग, लेन–देन, ग्रहण का कोई भी स्वतंत्र गवाह न होना, उनके मांग के बावजूद उनकी ऊँगलियों के निशान की जाँच बरामद नोटो पर न कराना, इसके बावजूद प्रस्तुतीकरण द्वारा Preponderance of Probability के आधार पर आरोप को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया जाना बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम का उल्लंघन है। श्री सिंह द्वारा रिश्वत की घटना को सुनियोजित बताते हुए अपने उपर लगे आरोपों से इन्कार किया गया है।

6. आरोपी श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी श्री सिंह द्वारा अपने उत्तर में कोई नया तथ्य, तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों/तर्कों एवं साक्ष्यों को ही नये सिरे से पुनरावृत्ति की गयी है। श्री सिंह का कहना है कि उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखे गये तथ्यों/तर्कों का खण्डन प्रस्तुतीकरण पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह के प्रत्येक तथ्यों/तर्कों का प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा तार्किक ढंग से खण्डन किया गया है। वैसे भी विभागीय कार्यवाही एक अर्द्धन्यायिक मामला होता है और इसमें प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा जो भी तथ्य/तर्क दिये जाते है, वह मायने नहीं रखता है, बल्कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा रखे गये पक्षों, उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों, गवाहो के बयानों आदि के आधार पर विश्लेषणोंपरान्त गठित किये गये निष्कर्ष ही महत्वपूर्ण होता है और इस मामले में संचालन पदाधिकारी द्वारा सम्यक विश्लेषण के पश्चात आरोप को प्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया है।

7. संचालन पदाधिकारी के रूप में जाँच आयुक्त के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित किये गये मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों/अभिमत के आलोक में भी श्री सिंह का द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं माना गया :–

(i) विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक–28.05.2012 के अपने बचाव–बयान में अंकित घटनाक्रम में यह स्वीकार किया गया है कि –

निगरानी टीम के ऑफिसर्स द्वारा वॉकी–टॉक पर कहीं बात की गई और फिर मेरे पैंट के पीछे के पॉकेट से मेरा पर्स निकाला गया तथा टेबुल से मेरा दोनों मोबाईल उठा लिया गया। उसके तुरन्त बाद मुझे गाड़ी में बिठाकर निगरानी ब्यूरो के कार्यालय ले जाया गया। निगरानी थाना में मेरे हाथ का धोवन लिया गया। दाहिने हाथ के धोवन में घोल हल्का गुलाबी हुआ परन्तु बाएं हाथ के धोवन में घोल गुलाबी नहीं हुआ। चूंकि मैंने दाहिने हाथ से लिफाफा खिड़की से बाहर फेंका था इसलिए लिफाफा में लगे फेनौफ्थीलीन पाउडर मेरे अंगुलियों में लग गए होंगे जिस कारण दायें हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबाने पर घोल लाल हो गया।

आरोपित पदाधिकारी की इस स्वीकारोक्ति से यह प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा रिश्वत की राशि के रूप मे अंकित पैसे अपने हाथों की अंगुलियों से स्पर्श किया गया था। उक्त से आरोपित पदाधिकारी द्वारा निगरानी थाना काण्ड की पूरी घटना अथवा प्री–ट्रैप/पोस्ट ट्रैप मेंमोरेंडम में अंकित सभी बातों को गलत ठहराने का दावा सही नहीं है।

(ii) आरोपित पदाधिकारी ने दिनांक–28.05.2012 को समर्पित अपने बचाव–बयान के विद्वेष शीर्ष से अंकित तथ्यों में यह स्वीकार किया है कि उनके पास संवेदक श्री सुधीर कुमार सिंह के दो अन्य मामलों जो क्रमशः सारण जिलान्तर्गत ताजपुर में आर०सी०सी० पुल निर्माण एवं मुख्यमंत्री सेतु योजना के अर्न्तगत दो पुलों के निर्माण के भी थे।

ऐसी स्थिति में उक्त स्वीकारोक्ति से आरोपित पदाधिकारी के पास श्री सुधीर कुमार सिंह को अनुचित लाभ पहुँचाने के दो अवसर उपलब्ध थे। उक्त से जैसा कि परिवादी श्री हरेन्द्र सिंह स्वीकार करते है कि वे श्री सुधीर कुमार सिंह के

पार्टनर थे तो श्री सुधीर कुमार सिंह के अन्य कार्यों के लिए भी रिश्वत की मांग करने का आरोपित पदाधिकारी के पास औचित्य था।

(iii) इसी तरह दिनांक–28.04.2017 को श्री विजय कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक–सह–धावादल प्रभारी द्वारा परीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि आरोपित पदाधिकारी के टेबुल पर से परिवादी के कार्य संबंधी संचिका एन० 50/2006 बरामद हुआ।

उक्त बयान से आरोपित पदाधिकारी के पास परिवादी का कार्य लम्बित रहने की स्थिति बनती है।

(iv) श्री मृत्युंजय कुमार चौधरी, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक–धावादल सदस्य द्वारा दिनांक–28.04.2017 को परीक्षण के दौरान, आरोपी के टेबुल पर से परिवादी के कार्य संबंधी संचिका एन० 50/2006 बरामद होने की बात स्वीकार की गई है।

उक्त बयान से आरोपित पदाधिकारी के पास परिवादी का कार्य लम्बित रहने की स्थिति बनती है।

(v) उपरोक्त तथ्यों एवं साक्षियों के बयानों से इस बात की प्रबल संभावना है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक–24.10.2007 को परिवादी से 20,000/– रूपये लेने का कार्य किया गया एवं इसी राशि को लेते समय निगरानी धावादल द्वारा उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरास्त में भेजते हुए निगरानी थाना काण्ड संख्या–119/2007 दर्ज किया गया।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण मामले की विभागीय समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि आरोपी श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर सुसंगत तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित नहीं है और रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के संबंध में श्री सिंह के द्वार ऐसा कोई ठोस अथवा अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर उन्हें निर्दोष सिद्ध किया जा सके।

9. आरोपी श्री सिंह के विरूद्ध सरकारी कर्त्तव्य के पालन में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने का आरोप सिद्ध होता है, जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में है, जिसके फलस्वरूप श्री सिंह की सेवा को सदाचारयुक्त सेवा (Good Services) की मूल भावना के प्रतिकूल कदाचारयुक्त पाया गया। उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के तहत सरकारी सेवक के विहित पदीय दायित्वों के आचरण के प्रतिकूल है।

10. उपर्युक्त की गयी समीक्षा के आलोक में श्री सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत इनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन की स्थायी रूप से कटौती किये जाने संबंधी दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का निर्णय प्राप्त किया गया।

11. अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–5263 (एस) अनु0 दिनांक–25.10.2024 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। स्मारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–5087 दिनांक–21.03.2025 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में आरोपी श्री विनय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता–सह–वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, लिमिटेड, पटना सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने तथा उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(क) इनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन की स्थायी रूप से कटौती।

(ख) श्री सिंह के निलंबन अवधि का विनियमन नियमानुसार अलग से की जायेगी।

दण्ड प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

---

2 अप्रील 2025

सं0 निग/सारा–1 (पथ)–विविध–26/09–2866(s)––श्री अरविन्द कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल पाली, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत **(दिनांक–31.07.2020)** कार्यपालक अभियंता के उक्त पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–3020 (एस) दिनांक 13.04.2018 के द्वारा कारण–पृच्छा की मांग की गयी। कारण–पृच्छा उत्तर दिये जाने हेतु श्री वर्मा के द्वारा पत्र दिनांक 17.04.2018 से संबंधित अभिलेखों की मांग की गयी। विभागीय समीक्षा में मामले की गंभीरता को देखते हुए संकल्प ज्ञापांक–3403 (एस), दिनांक 09.05.2018 के द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5701 (एस) दिनांक 30.09.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत समपरिवर्तित किया गया। श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में गठित आरोप के बिन्दु निम्नवत है :–

(i) CAG प्रतिवेदन 2003–04 की सिविल कंडिका–4.1.2 के तहत वर्ष 1998–99 में पटना पश्चिम, पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत मसौढ़ी–पितमास–नौबतपुर–खगौल पथ के 11 से 21 कि0मी0 में एकरारनामा संख्या–4 एफ 2/2000–01 एवं

दुल्हिनबाजा–रानी तालाब–पाली–किंजर पथ के 21 से 32 कि0मी0 में एकरारनामा संख्या–135 एफ 2/1998–99 के आलोक में पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के तहत प्रावधानित 2.15 मीटर की चौड़ाई में बॉक्स कटिंग का कार्य एवं चौड़ीकरण वाले भाग में 150 एम0एम0 बालू भराई, 75 एम0एम0 B/F सोलिंग, 75 एम0एम0 स्टोन मेटल ग्रेड–2 एवं 75 एम0एम0 ग्रेड–3 के विरूद्ध 0.915 मीटर में बॉक्स कटिंग एवं इसी चौड़ाई वाले भाग में 150 एम0एम0 बालू भराई, 75 एम0एम0 B/F सोलिंग, 75 एम0एम0 स्टोन मेटल ग्रेड–2 एवं 75 एम0एम0 ग्रेड–3 का कार्य कराया गया, जिससे सभी लेयर में संपीडन विशिष्टियों के अनुरूप नहीं हुआ पाया गया।

(ii) उक्त कार्य में मात्र 44 प्रतिशत ही मिट्टी हटाने का कार्य कर आधार का कार्य एवं पत्थर बिछाने का कार्य कराया गया, जिससे ₹26.66 लाख (छब्बीस लाख छियासठ हजार रूपये) के संदेहास्पद भुगतान के विरूद्ध सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन संख्या–548 में लोक लेखा समिति द्वारा संबंधित पदाधिकारियों से ₹26.66 लाख (छब्बीस लाख छियासठ हजार रूपये) की वसूली करने की अनुशंसा की गयी।

(iii) पटना जिला के दुल्हिनबाजार–रानीतालाब, पाली–किंजर पथ के 34 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 5.15 करोड़ रू0 में तथा 4.12 करोड़ रू0 की तकनीकी स्वीकृति देते हुए इसे अगस्त, 1999 तथा फरवरी, 2000 के मध्य पूर्ण करने हेतु कार्य तीन एजेंसियों को आवंटित किया गया। प्रथम भाग का कार्य पूरा हो गया, **किन्तु अन्य दो भागों को प्रदत्त कार्य (1.5 करोड रू0 मूल्य के 9 से 20 कि0मी0 तक तथा 1.74 करोड़ रू0 मूल्य के 21 से 32 कि0मी0 तक) फरवरी, 2004 तक के कार्य अपूर्ण थे।**

(iv) तकनीकी मानक के अनुसार पथ को 1.83 मी0 (3.05 मी0 से 4.88 मी0) चौड़ा करना था तथा बालू एवं अन्य पथ सामग्रियों से भरने हेतु मिट्टी काटने का कार्य करना था, **परन्तु फरवरी, 2004 में यह भी पाया गया कि दूसरी एजेंसी के द्वारा अनुमानित मात्रा के विरूद्ध मात्र 46% तक कार्य पूरा किया गया था एवं तीसरी एजेंसी के द्वारा मिट्टी काटने का कार्य मात्र 39% तक ही पाया गया।**

(v) चूँकि दो एजेंसियों के द्वारा आवश्यक मात्रा में मिट्टी काटने एवं उसे भरने का कार्य पूरा नहीं किया गया और आधार कार्य, ईंट बिछाने का कार्य तथा पत्थर बिछाने का कार्य उससे अधिक क्षेत्र में संभव नहीं था, **फिर भी, दोनों एजेंसियों को इन कार्यों के लिए 87.60 लाख रू0 का भुगतान (46.11 लाख रू0 + 41.49 लाख रू0) किया गया (मार्च, 2001)।**

(vi) इसके अलावा **चूँकि मिट्टी एवं पथ सामग्रियों का मजबूतीकरण वाटर बाउण्ड मैकाडम के तैयार करने के पूर्व नहीं किया गया तथा खुदाई किये गये क्षेत्र में वांछित मिट्टी कार्य नहीं किया गया, साथ–हीं दोनों एजेंसियों द्वारा दर्शाया गया 2.10 करोड़ रू0 का 9 से 32 कि0मी0 तक का कार्य (मार्च, 2001) निश्चित रूप से निम्न स्तर का था।**

(vii) इसीप्रकार, मसौढ़ी–पित्तमास, नौबतपुर–खगौल पथ के चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण के कार्य 3.27 करोड़ रू0 की प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति (जून, 1998) के आलोक में पथ को मिट्टी काटकर (16125 घनमीटर) तथा पथ सामग्रियों से भरकर (बालू, ईंट, एस0एम0जी0–II एवं III) 3.65 मी0 से 5.5 मी0 तक चौड़ा करना था। खुदाई किये हुए क्षेत्र को खुदाई से निकले मिट्टी से भरना था। सामग्रियों तथा मिट्टी भराई कार्य, भरे हुए क्षेत्र का मजबूतीकरण करने के लिए साथ–साथ करना था, **परन्तु मई, 2004 में हुए निरीक्षण तक मात्र 44% ही कार्य हुआ पाया गया। चूँकि मिट्टी हटाये बगैर आधार कार्य तथा पत्थर बिछाने का कार्य नहीं किया जा सकता, 44% से अधिक 26.66 लाख रू0 का बालू भरना, झामा ईंट बिछाना, एस0एम0जी0–II एवं III कार्य जिसका मूल्य 26.66 लाख रू0 था, संभव नहीं था। अतः 26.66 लाख रू0 के पथ चौड़ीकरण का निष्पादन तथा उसका भुगतान संदेहास्पद था।**

(viii) इसके अतिरिक्त, **वाटर बाउण्ड मैकाडम के निर्माण के समय पत्थर डालकर रौलिंग नहीं चलाया गया तथा पथ के बढ़ाये गये चौड़ाई में खोदी गयी मिट्टी नहीं डाली गई, जिससे 89.76 लाख रूपये में किया गया संपूर्ण कार्य निम्नस्तरीय पाया गया।**

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–645 अनु०, दिनांक 12.03.2022 के द्वारा एतद संबंध जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति का बिन्दु सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक–760 (एस) दिनांक 15.02.2024 द्वारा श्री वर्मा से सृजित असहमति के बिन्दु पर लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी । श्री वर्मा ने द्वितीय कारण–पृच्छा का उत्तर समर्पित किया, जो इस विभाग में दिनांक 21.03.2024 को प्राप्त है, में उन्होंने आरोप से संबंधित दो पथों को बाँटते हुए अंकित किया है कि–दुल्हिन बाजार–रानी–तालाब–पाली किंजर पथ उनके कार्यकाल से सबंधित है और उससे जुड़ी हुई सभी आरोप प्रक्रियात्मक प्रशासनिक विफलता के संबंध में है, जो बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत Grave misconduct के तहत नहीं है तथा इसे Pecuniary loss का मामला नहीं बनता है, जबकि मसौढ़ी–पितमास–नौबतपुर–खगौल पथ का कार्य उनके कार्यकाल से संबंधित नहीं है।

3. मामले की विभागीय समीक्षा की गयी, जिसके क्रम में आलोच्य कार्य से संबंधित दो पथों से संबंधित आरोपों की स्थिति निम्नवत है :–

(i) दुल्हिनबाजार–रानीतालाब–पाली–किंजर पथ

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस पथ कार्य को अगस्त 1999 से फरवरी 2000 तक पूर्ण करने के लिए तीन एजेन्सी को दिया गया था, लेकिन कार्य फरवरी 2004 तक अपूर्ण था। श्री वर्मा के विरूद्ध गठित आरोपों में से आरोप सं०–(i) (आंशिक रूप से) (iii), (iv), (v) एवं (vi) का संबंध उक्त पथ कार्य से है।

(ii) मसौढ़ी–पितमास–नौबतपुर–खगौल पथ

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि इसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य आरंभ करने के लिए सितम्बर 2000 में तीन एजेन्सियों को आवंटित किया गया। इस कार्य को नवम्बर 2001 तक पूरा होना था, लेकिन मई 2004 तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुई थी। आरोप संख्या–(i) (आंशिक रूप से), (ii), (vii) एवं (viii) का संबंध उक्त पथ कार्य से है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त विभागीय कार्यवाही के जाँच फोल्डर में श्री वर्मा का प्रभार प्रतिवेदन रक्षित है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कार्य से संबंधित स्थान पर उनका पदस्थापन अवधि दिनांक 06.07.1999 से 06.03.2001 तक है। इससे यह प्रतीत होता है कि श्री वर्मा उक्त दोनों पथों में से सिर्फ प्रथम पथ दुल्हिनबाजार–रानीतालाब–पाली–किंजर पथ से संबंधित है, जबकि दूसरा पथ उनके कार्यकाल से संबंधित नहीं है। उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार रुपये 26.66 लाख का संदेहास्पद भुगतान के लिए समानुपतिक वसूली का आदेश दूसरा पथ मसौढ़ी–पितमास–नौबतपुर–खगौल पथ से संबंधित है। इस तरह कार्य से संबंधित नहीं रहने के कारण श्री वर्मा से समानुपातिक वसूली का मामला नहीं बनता हैं।

5. प्रथम पथ–दुल्हिनबाजार–रानीतालाब–पाली–किंजर पथ से संबंधित आरोप संख्या–(i) (आंशिक रूप से) (iii), (iv), (v) एवं (vi) प्रक्रियात्मक प्रशासनिक विफलता की प्रकृति का है, जिसके लिए जमीन पर कार्य की मात्रा से अधिक भुगतान, कार्य की गुणवत्ता का निम्न स्तर का पाया जाना, कार्य की धीमी प्रगति आदि Grave misconduct के तहत ही परिगणित होगा। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि इन आरोपों के बचाव के लिए श्री वर्मा ने कोई ठोस साक्ष्यगत आधार प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इस पथ से संबंधित आरोप को प्रमाणित माना जा सकता है।

उपर्युक्त विभागीय समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में श्री अरविन्द कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल पाली, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत **(दिनांक–31.07.2020)** कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत '' **दो वर्षो के लिए 05% पेंशन की कटौती''** के दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

6. उक्त अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर नियमानुसार विभागीय पत्रांक–5194 (एस), दिनांक 23.10.2024 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग ने पत्रांक–5085, दिनांक 21.03.2025 के द्वारा अपना परामर्श उपलब्ध कराया, जिसमें अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है। अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री अरविन्द कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल पाली, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत **(दिनांक–31.07.2020)** कार्यपालक अभियंता के द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत निम्नलिखत दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

'' **दो वर्षो के लिए 05% पेंशन की कटौती।''**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, **अवर सचिव।**

---

2 अप्रील 2025

सं0 निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–36/2021–2869(s)—श्री इन्द्रदेव पण्डित, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के उक्त पदस्थापन काल में नाबार्ड योजनान्तर्गत लक्ष्मीपुर–जिनहारा–धमना–झाझा पथ के निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितता संबंधी एकमात्र आरोप के लिए विभागीय पत्राक–456 (एस) दिनांक 15.01.2018 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उन्होंने पत्रांक–शून्य, दिनांक 26.07.2018 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत इसे संतोषजनक नहीं पाते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5053 (एस) दिनांक 06.10.2021 के द्वारा श्री पण्डित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसे उनके दिनांक 30.11.2023 को सेवानिवृति के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–966 (एस) दिनांक 23.02.2024 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। श्री पण्डित के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप का एकमात्र बिन्दु निम्नवत् है :–

'' पथ के 10वें एवं 21वें कि०मी० में कराये गये BM Gr.-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा के औसत मान क्रमशः 2.57% एवं 2.54% पायी गयी है। पूरे पथ के लिए अलकतरा की औसत मान BM Gr.-II 2.56% पायी गयी है, जो प्राक्कलन में प्रावधानित अलकतरा की मात्रा 3.3% के लिए विभागीय Tolerance Limit (2.94) से कम है।''

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1407 अनु०, दिनांक 29.06.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री पण्डित के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित होने संबंधी मंतव्य गठित किया गया। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति का बिन्दु सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक–6243 (एस) दिनांक 17.10.2023 के द्वारा उनसे लिखित अभिकथन के

रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री पण्डित ने पत्र दिनांक 04.01.2024 के द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया।

3. श्री पण्डित ने अपने द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर में पथ की गुणवत्ता जाँच में TRI द्वारा गलत विधि का प्रयोग किये जाने को मुख्य आधार बनाया है, साथ ही उन्होंने अंकित किया है कि अगर TRI द्वारा गुणवत्ता की जाँच सही विधि से की गयी होती तो जाँच प्रतिफल Tolerance Limit से अधिक आता। श्री पण्डित के उत्तर पर विभागीय तकनीकी समिति के मंतव्य की मांग की गयी, जिसमें उनके Testing के Method संबंधी तर्क को समिति के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उड़नदस्ता जाँच में स्पष्ट रूप से अलकतरा का औसत मान निर्धारित Tolerance Limit से कम पायी गयी है, जिसके संबंध में श्री पण्डित ने कोई ठोस साक्ष्यगत बचाव का तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उनके द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को स्वीकृत किये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत श्री इन्द्रदेव पण्डित, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को सक्षम प्राधिकार के स्तर से अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये एकमात्र आरोप के संबंध में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत **''05 प्रतिशत पेंशन की कटौती 02 (दो) वर्षो तक''** के दण्ड को संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. उपर्युक्त निर्णित दण्ड पर नियमानुसार विभागीय पत्रांक–6101 (एस) दिनांक 02.12.2024 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग ने पत्रांक–5086, दिनांक 21.03.2025 के द्वारा उक्त निर्णित दण्ड पर सहमति व्यक्त किया है। अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री इन्द्रदेव पण्डित सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

''05 प्रतिशत पेंशन की कटौती 02 (दो) वर्षो तक''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, **अवर सचिव।**

---

4 मार्च 2025

सं0 निग/सारा–01 (पथ) आरोप–33/2019–1827(s)**––**श्री सूरज प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल डिहरी–ऑन–सोन सम्प्रति सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर), पथ निर्माण विभाग के कार्यालय में प्रतिनियुक्त के पथ प्रमंडल डिहरी–ऑन–सोन के पदस्थापन अवधि में अकबरपुर–यदुनाथपुर पथ के कि०मी० 24.50 से 45.60 (कुल 21.10 कि०मी०) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के प्राक्कलन गठन में पायी गयी अनियमितता के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–9658 (एस) दिनांक 06.11.2019 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–9839 (एस) दिनांक 13.11.2019 के द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–147 अनु०, दिनाक 31.03.2023 के द्वारा एतद संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रकाश के विरूद्ध गठित सभी चार आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित होने संबंधी मंतव्य प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होकर इसकी प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्राक–3766 (एस) दिनांक 03.07.2023 के द्वारा श्री प्रकाश से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री प्रकाश ने पत्रांक–30 अनु०, दिनांक 14.07.2023 के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अधिसूचना संख्या–4555 (एस), दिनांक 18.09.2024 के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

(i) श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (iv) के तहत इनको 02 (दो) वर्षो की अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दण्ड।

(ii) इनको तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से नियमानुसार कारण–पृच्छा किया जायेगा।

3. श्री प्रकाश के निलंबन अवधि दिनांक 06.11.2019 से 1809.202 के विनियमन के संबंध में लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–5498 (एस) दिनांक 11.11.2024 के द्वारा उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री प्रकाश ने पत्रांक–शून्य, दिनांक 21.11.2024 के द्वारा अपना कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि उन्होंने संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध पूर्व में पत्रांक–शून्य, दिनांक 30.09.2024 के द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया है, जिसमें उनके संसूचित दण्ड के विरूद्ध पर्याप्त तथ्य दिया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि दिनांक 06.11.2019 से 18.09.2024 तक उनको निलंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

4. उल्लेखनीय है कि श्री सूरज प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल डिहरी–ऑन–सोन सम्प्रति सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर), पथ निर्माण विभाग के कार्यालय में प्रतिनियुक्त, के पुनर्विचार अभ्यावेदन पर सम्यक समीक्षोपरांत इसे विभागीय अधिसूचना संख्या–867 (एस), दिनांक 05.02.2025 एवं इससे संबंधित शुद्धि

पत्र संख्या–1065 (एस) दिनांक 11.02.2025 के द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। अतः इस आधार पर श्री प्रकाश के निलंबन अवधि के विनियमन से संबंधित पत्रांक–शून्य, दिनांक 21.11.2024 को अस्वीकृत करते हुए उनके निलंबन अवधि दिनांक 06.11.2019 से 18.09.2024 तक को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

(i) श्री सूरज प्रकाश, सहायक अभियंता को उनके निलंबन अवधि में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में परिगणित किया जायेगा।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, **अवर सचिव।**

---

24 मार्च 2025

सं0 निग/सारा–01 (पथ) आरोप–54/2022–2598(s)**––**श्री लोकेश नाथ मिश्रा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल नवादा सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, के उक्त पदस्थापन अवधि में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन जो निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–829 अनु०, दिनांक 30.08.2019 से प्राप्त है, में पथ प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत OPRMC Phase-II के पैकेज संख्या–49B के तहत विभिन्न पथों में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गयी :–

1. **बाघी बगडीहा–बरबिघा पथ (SH-83)**
   इस पथ के कि०मी० 01 से 10 तक में विभिन्न त्रुटियाँ, यथा–shoulder में ditches एवं shrubs पाये गये। RCC drain का cover slab टूटा हुआ पाया गया। कुल छः स्थानों पर culvert में O.H.M missing पाया गया। Speed breaker पर Road marking एवं Road Signage नहीं पाया गया। Electric Pole में Painting नहीं पाया गया।
2. **पकड़ीवरॉवा–बारसलीगंज पथ**
   इस पथ में भी shrubs on shoulder के साथ road safety signage का अभाव पाया गया। Culvert के parapet में मानक के अनुरूप Painting नहीं पाया गया। electric pole में मानक के अनुरूप Painting नहीं था।
3. **पकड़ीवरॉवा–कौआकोल पथ**
   पथ के 3 कि०मी० में Pots पाया गया। पथ के अलग–अलग स्थानों पर shoulder में ditchesd एवं shrubs पाया गया। culvert vent की सफाई नहीं पायी गई। culvert में मानक के अनुरूप painting तथा numbering नहीं पाया गया। electric pole में मानक के अनुरूप painting नहीं पाया गया।
4. **वाराडीह–खराट पथ**
   पथ के पहले कि०मी० में undulation एवं दूसरे कि०मी० में Pots पाये गये। Road Signage नहीं पाया गया तथा Road marking या तो fainted पाया गया या नहीं पाया गया। Culvert Painting मानक के अनुरूप नहीं पाया गया तथा electric pole में मानक के अनुरूप painting नहीं पाया गया।
5. **कौआकोल–शेखोदेवरा पथ**
   पथ में अवस्थित Electric Pole में मानक के अनुरूप Painting नहीं पाया गया।

2. उक्त पायी गयी त्रुटियों के आलोक में विभागीय पत्रांक–750 (एस) दिनांक 29.01.2020 के द्वारा श्री मिश्रा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री मिश्रा ने पत्र दिनांक 17.03.2020 के द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया, जिसमें मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि जाँच की तिथि दिनांक 09.08.2019 के समय IR कार्य प्रगति पर था। संबंधित पत्र में इंगित त्रुटियों को विशिष्ट मानक के अनुरूप सम्पन्न करा दिया गया है।

3. प्राप्त स्पष्टीकरण उत्तर पर कार्रवाई के क्रम में विभागीय पत्रांक–936, दिनांक 22.02.2023 के द्वारा OPRMC संधारित आलोच्य पथों में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण Response time में नहीं होने के कारण प्रावधानानुसार OM में deduction किया गया है अथवा नही के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा के पत्रांक–120 अनु०, दिनांक 17.02.2024 के द्वारा एतद संबंधी साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया गया है कि–**"OPRMC Phase-II के पैकेज संख्या–49B के पकड़ीवरॉवा–कौआकोल पथ, पकड़ीवरॉवा–बारसलीगंज पथ एवं कौआकोल–शेखोदेवरा पथ के IR कार्यो में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण Response time में नहीं होने के कारण प्रावधानानुसार OM में deduction कर लिया गया है।"**

4. उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ श्री मिश्रा से प्राप्त स्पष्टीकरण उत्तर पर मुख्य अभियंता, पथ संधारण से मंतव्य की मांग की गयी। मुख्य अभियंता, पथ संधारण ने पथवार OM मद में कटौती के संबंध में अपना मंतव्य अंकित किया है, जो निम्नवत है :–

1. **बाघी बगडीहा–बरबिघा पथ (SH-83)**
OPRMC-II के MBD Clause -39.1 के आलोक में कटौती की आवश्यकता नहीं है।

2. **पकड़ीवरॉवा–बारसलीगंज पथ**
इस पथ में विभिन्न मदों में रुपये 29,111/–(उन्नतीस हजार एक सौ ग्यारह) की कटौती की गयी है।

3. **पकड़ीवरॉवा–कौआकोल पथ**
इस पथ में विभिन्न मदों में रुपये 60,401/–(साठ हजार चार सौ एक) की कटौती की गयी है।

4. **वाराडीह–खराट पथ**
OPRMC-II के MBD Clause -39.1 के आलोक में कटौती की आवश्यकता नहीं है।

5. **कौआकोल–शेखोदेवरा पथ**
इस पथ में OM-501 मद में रुपये 1,246/–(एक हजार दो सौ छियालीस) की कटौती की गयी है।

मुख्य अभियंता, पथ संधारण के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि संवेदक द्वारा Response time के अन्दर त्रुटि को दूर नहीं करने के कारण OPRMC के विभिन्न अवयवों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार कटौती कर ली गयी है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी, तदनुसार पाया गया कि यद्यपि OM मद में deduction किया गया है, फिर भी बतौर सहायक अभियंता, Engineer-in-charge के रूप में श्री मिश्रा के कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता के कारण त्रुटियों का निराकरण Response time में नहीं हो पाया, तथा OM मद से कटौती की स्थिति उत्न्न हुई।

अतः सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत श्री लोकेश नाथ मिश्रा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल नवादा सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्पष्टीकरण उत्तर दिनांक 17.03.2020 को यद्यपि स्वीकृत किया जाता है, लेकिन उन्हें भविष्य के लिए सजग रहने हेतु **"चेतावनी"** दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्रपुस्त में की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, **अवर सचिव।**

---

17 मार्च 2025

सं0 निग/सारा–04 (पथ) (नि०था०का०)–12/2014–2329(s)––श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर सम्प्रति मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध आय के ज्ञात श्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा थाना कांड संख्या–50/2014 दिनांक–14.08.2014 धारा–13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(ई०) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दर्ज किये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–8539(एस) दिनांक–04.09.2014 द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुये विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10006 दिनांक–17.10.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् गठित आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–7559 (एस) दिनांक–20.08.2019 द्वारा श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

2. कालान्तर में निगरानी थाना कांड संख्या–50/2014 दिनांक–14.08.2014 के संदर्भ में विशेष न्यायाधीश (निगरानी), पटना के कोर्ट में दायर विशेष वाद संख्या–56/2014 में दिनांक–01.02.2021 को पारित न्यायादेश द्वारा श्री सिंह के मामले को साक्ष्य की कमी के आधार पर बंद किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री सिंह के द्वारा अपनी बर्खास्तगी के दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–08.09.2022 समर्पित किया गया, जिस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुये सामान्य प्रशासन विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त करते हुए विभागीय समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का आधार एवं साक्ष्य दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–50/2014 होने के आलोक में बर्खास्तगी दंडादेश (अधिसूचना संख्या–7559 (एस) दिनांक–20.08.2019) को मंत्रीपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर तत्काल प्रभाव से विभागीय अधिसूचना संख्या–5996 (एस) दिनांक–04.10.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

3. उक्त के आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक–05.10.2023 के पूर्वाह्न में विभाग में योगदान समर्पित किया गया। सेवा में पुनर्स्थापन के पश्चात् श्री सिंह के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–27.10.2023 द्वारा निलंबन अवधि एवं बर्खास्तगी अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. तद्पोरान्त श्री सिंह के निलंबन अवधि एवं बर्खास्तगी अवधि से सेवा में पुनर्स्थापन के बीच की अवधि को विनियमित किये जाने के मामले पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निलंबन अवधि में भुगतान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ता की राशि का समायोजन कर एवं बर्खास्तगी से सेवा में पुनर्स्थापन के बीच की अवधि में कहीं अन्यत्र नियोजित नहीं थे, का घोषणा पत्र प्राप्त कर श्री सिंह के निलंबन अवधि तथा उनके बर्खास्तगी से सेवा में पुनर्स्थापन के बीच की अवधि को प्रत्येक प्रयोजन से कर्त्तव्य अवधि के रूप में पूर्ण वेतन भत्ते के साथ विनियमित किये जाने का परामर्श दिया गया है, जिसपर वित्त विभाग के द्वारा भी सहमति दी गयी।

5. उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक विनियमन की कार्रवाई के क्रम में विभागीय पत्रांक–1539(एस) दिनांक–21.03.2024 द्वारा श्री सिंह से बर्खास्तगी की तिथि से पुनर्स्थापन के तिथि तक की अवधि में किसी नियोजन के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित रकम के संबंध में साक्ष्य/अभिलेख (शपथ–पत्र सहित) की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में श्री सिंह अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–02.07.2024 के द्वारा बर्खास्तगी की तिथि से पुनर्स्थापन की तिथि तक कहीं भी नियोजित नहीं होने का शपथ–पत्र दिया गया।

6. अतः वर्णित तथ्यों एवं सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग के परामर्श तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–12(2)(i) के आलोक में श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर सम्प्रति मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्रा०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की निलंबन अवधि एवं बर्खास्तगी से सेवा में पुनर्स्थापन के बीच की अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता हैः–

(i) दिनांक–04.09.2014 से 19.08.2019 तक निलंबन अवधि एवं दिनांक–20.08.2019 से 03.10.2023 तक बर्खास्तगी से सेवा में पुनर्स्थापन के बीच की अवधि को प्रत्येक प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में पूर्ण वेतन एवं भत्ते के साथ विनियमित किया जाता है।

(ii) निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन एवं भत्ते के भुगतान के क्रम में निलंबन अवधि में भुगतान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ता की राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, **अवर सचिव।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
22 अप्रील 2025

सं0 1/पी01–01/2025 गृ0आ0–5135––भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है/ अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/ बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री पंकज कुमार दाराद, भा0पु0से0 (1995)	अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था), बिहार, पटना **अतिरिक्त प्रभार–** अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना	अपर पुलिस महानिदेशक आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना **अतिरिक्त प्रभार–** अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था), बिहार, पटना एवं अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना
2.	डॉ0 अमित कुमार जैन, भा0पु0से0 (1996)	अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	**अतिरिक्त प्रभार–** अपर पुलिस महानिदेशक, मद्य निषेध, बिहार, पटना
3.	श्री राकेश राठी, भा0पु0से0 (2002)	पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं एवं संचार, बिहार, पटना **अतिरिक्त प्रभार–** पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई (साईबर क्राईम), बिहार, पटना	पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई (साईबर क्राईम), बिहार, पटना का **अतिरिक्त प्रभार समाप्त करते हुए** पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार
4.	श्री रंजीत कुमार मिश्रा, भा0पु0से0 (2007)	पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना	**अतिरिक्त प्रभार–** पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना

5.	श्री बाबू राम, भा0पु0से0 (2009)	पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना	पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (उत्तरी मंडल), मुजफ्फरपुर
6.	श्री जयंत कान्त, भा0पु0से0 (2009)	पुलिस उप–महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	**अतिरिक्त प्रभार–** पुलिस उप–महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना
7.	श्री मानवजीत सिंह ढ़िल्लों, भा0पु0से0 (2009)	पुलिस उप–महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना **अतिरिक्त प्रभार–** पुलिस उप–महानिरीक्षक (मद्यनिषेध), बिहार, पटना	पुलिस उप–महानिरीक्षक (मद्यनिषेध), बिहार, पटना का **अतिरिक्त प्रभार समाप्त**
8.	श्री राजीव मिश्रा, भा0पु0से0 (2010)	पुलिस उप–महानिरीक्षक आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना	**अतिरिक्त प्रभार–** पुलिस उप–महानिरीक्षक (मद्यनिषेध), बिहार, पटना
9.	श्री अभय कुमार लाल, भा0पु0से0 (2010)	पुलिस उप–महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना	पुलिस उप–महानिरीक्षक–सह उप–निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर
10.	श्री तौहीद परवेज, भा0पु0से0 (2010)	पुलिस उप–महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना	पुलिस उप–महानिरीक्षक (ड0नि0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
11.	श्री राजेन्द्र कुमार भील, भा0पु0से0 (2011)	पुलिस उप–महानिरीक्षक (ड0नि0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना
12.	श्री दीपक रंजन, भा0पु0से0 (2012)	समादेष्टा, बि0वि0स0पु0–3, बोधगया	**अतिरिक्त प्रभार–** समादेष्टा, बि0वि0स0पु0–17, बोधगया
13.	श्री राजीव रंजन–1, भा0पु0से0 (2012)	पुलिस अधीक्षक, विधि–व्यवस्था, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
14.	श्रीमती बीणा कुमारी, भा0पु0से0 (2013)	सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर	पुलिस अधीक्षक, रेल, मुजफ्फरपुर
15.	श्री अशोक कुमार प्रसाद, भा0पु0से0 (2013)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–12, भीमनगर, सुपौल **अतिरिक्त प्रभार–** समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–15, भीमनगर, सुपौल	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना
16.	श्री विनय तिवारी, भा0पु0से0 (2015)	पुलिस अधीक्षक, रेल, मुजफ्फरपुर	पुलिस अधीक्षक, साईबर अनुसंधान एवं अभियान, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
17.	श्री चन्द्र प्रकाश, भा0पु0से0 (2019)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–17, बोधगया	सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

---

15 अप्रील 2025

सं0 1/डी01–10–04/2021 गृ0आ0–4863––श्री शालीन, भा0पु0से0 (BH:2001), सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना [अतिरिक्त प्रभार–पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), बिहार, पटना] को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में महानिरीक्षक (वेतन स्तर–14) के पद पर नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु वर्त्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

2. श्री शालीन को निदेश दिया जाता है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–I-21017/04/2025-IPS.III, दिनांक–02.04.2025 द्रष्टव्य)।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

---

15 अप्रील 2025

सं0 1/डी01–10–01/2025 गृ0आ0–4862––श्री सुशील मानसिंह खोपड़े, भा0पु0से0 (BH:1995), सम्प्रति अपर पुलिस महानिदेशक, मद्यनिषेध, बिहार, पटना को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र में अपर महानिदेशक (संयुक्त सचिव स्तर), पोत परिवहन महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पद पर पदग्रहण की तिथि से उनकी सेवानिवृति की तिथि 30.09.2029 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु वर्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी जाती हैं।

2. श्री सुशील मानसिंह खोपड़े को निदेश दिया जाता है कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–33/04/2025-EO(SM-I), दिनांक–21.03.2025)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

---

20 मई 2025

सं0 1/पी01–01/2025 गृ0आ0–6162––भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है/ अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/ बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री राजीव रंजन–1, भा0पु0से0 (2012)	पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना
2.	श्री राकेश कुमार सिन्हा, भा0पु0से0 (2012)	पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
3.	श्री पंकज कुमार, भा0पु0से0 (2013)	पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना
4.	श्री अनंत कुमार राय, भा0पु0से0 (2016)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–16, पटना	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, बिहार, पटना
5.	श्री मनीष कुमार सिन्हा, भा0पु0से0 (2018)	पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना	समादेष्टा, विशेष सुरक्षा दल, बिहार, पटना **अतिरिक्त प्रभार–** पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना
6.	श्री राजेश कुमार, भा0पु0से0 (2018)	समादेष्टा, विशेष सुरक्षा दल, बिहार, पटना	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस–16, पटना

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एम0 एस0 रिज़वानी, अवर सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचनाएं
20 मई 2025

सं0 एल/एच०जी०–14–21/2023–**5448**––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्यया–636, दिनांक–10.01.2024 द्वारा अधिसूचित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा के वेतनमान वेतन स्तर–13 में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः–

क्र०	**पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला**	**मूल कोटि का वरीयता क्रमांक (वरीयता सूची 2017 के अनुसार)**	वर्तमान कोटि
1	श्री आमिर इसरार, पटना	13/2017	प्रमंडलीय समादेष्टा वेतन स्तर–12
2	श्री अखिलेश कुमार ठाकुर, दरभंगा	14/2017	प्रमंडलीय समादेष्टा वेतन स्तर–12

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्यया–636, दिनांक–10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा के वेतन स्तर (विहित वेतनमान वेतन स्तर–13) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा के वेतन स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद, उप सचिव।

---

20 मई 2025

सं0 एल/एच०जी०–14–21/2023–**5450**––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्यया–636, दिनांक–10.01.2024 द्वारा अधिसूचित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रमंडलीय समादेष्टा के वेतनमान वेतन स्तर–12 में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः–

क्र०	**पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला**	**मूल कोटि का वरीयता क्रमांक (वरीयता सूची 2017 के अनुसार)**	वर्तमान कोटि
1	श्री संजय कुमार, वैशाली	22/2017	वरीय जिला समादेष्टा वेतन स्तर–11
2	डॉ० अशोक कुमार प्रसाद, भोजपुर	23/2017	वरीय जिला समादेष्टा वेतन स्तर–11

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्यया–636, दिनांक–10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश प्रमंडलीय समादेष्टा के वेतन स्तर (विहित वेतनमान वेतन स्तर–12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रमंडलीय समादेष्टा के वेतन स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद, उप सचिव।

---

20 मई 2025

सं0 एल/एच०जी०–14–21/2023–**5447**––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्यया–636, दिनांक–10.01.2024 द्वारा अधिसूचित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को उप महासमादेष्टा के वेतनमान वेतन स्तर–13ए में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः–

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	मूल कोटि का वरीयता क्रमांक (वरीयता सूची 2017 के अनुसार)	वर्तमान कोटि
1	श्री मनोज कुमार नट, सीवान	11 / 2017	वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा वेतन स्तर–13

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्यया–636, दिनांक–10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप महासमादेष्टा के वेतन स्तर (विहित वेतनमान वेतन स्तर–13ए) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप महासमादेष्टा के वेतन स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद, उप सचिव।

---

20 मई 2025

सं0 एल / एच०जी०–14–21 / 2023**–5449–**–सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्यया–636, दिनांक–10.01.2024 द्वारा अधिसूचित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को वरीय जिला समादेष्टा के वेतनमान वेतन स्तर–11 में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः–

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	मूल कोटि का वरीयता क्रमांक (वरीयता सूची 2023 के अनुसार)	वर्तमान कोटि
1	श्री अनुज कुमार, नवादा	03 / 2023	जिला समादेष्टा वेतन स्तर–9
2	श्री विनय कुमार, भागलपुर	15 / 2023	जिला समादेष्टा वेतन स्तर–9
3	श्री विनोद कुमार यादव, बलिया (उ०प्र०)	16 / 2023	जिला समादेष्टा वेतन स्तर–9

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300 दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्यया–636, दिनांक–10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्यधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश वरीय जिला समादेष्टा के वेतन स्तर (विहित वेतनमान वेतन स्तर–11) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरीय जिला समादेष्टा के वेतन स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद, उप सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचना

23 मई 2025

सं0 1 / स्था०(पदा०)–42 / 2024**–5924** / वि०––श्री आशीष कुमार वर्मा, आई०डी०ए०एस० निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक–28.11.2024 से दिनांक–06.12.2024 तक कुल 09 (नौ) दिनों का उपार्जित अवकाश एवं 84 (चौरासी) दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य दिनांक–17.12.2024 से दिनांक–27.01.2025 तक कुल 42 (बियालीस) दिनों का रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राम चन्द्र मंडल, अवर सचिव।

पत्र सं0–1ए/11–56/2008––5933/ वि0

वित्त विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अन्तर्गत वाहन चालक (साधारण कोटि) के 18 अतिरेक (Supernumerary) पदों के अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

पटना, दिनांक 26 मई 2025

विभागीय आदेश ज्ञापांक–11548 दिनांक–23.10.2024 द्वारा वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत स्वीकृत कुल–43 पदों को संवर्ग नियमावली के अनुरूप विभिन्न कोटियों के पदों में कर्णांकित किया गया है।

2. उक्त कर्णांकण के पश्चात् बिहार वाहन चालक संवर्ग की मूल कोटि के पद यथा, वाहन चालक (साधारण कोटि) में 13 पद उपलब्ध है, जिसपर नियमावली के अनुसार सीधी भर्त्ती के माध्यम से नियुक्ति की जानी है।

3. कर्णांकण के पूर्व तत्समय उपलब्ध रिक्ति के अनुसार प्रेषित अधियाचना के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा कुल–31 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई गई है।

4. आयोग द्वारा अनुशंसित सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु एकबारगी उपाय के रूप में निम्न शर्त्तों के अधीन वित्त विभाग में वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक (साधारण कोटि) के 18 अतिरेक (Supernumerary) पदों का अस्थायी रूप से सृजन किया जाता है :–

(i) मूल कोटि के पदों से उच्चतर कोटि में नियमानुसार प्रोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने के उपरांत अस्थायी रूप से सृजित अतिरेक पद स्वतः समाप्त होते जायेंगे।

(ii) वाहन चालक (साधारण कोटि) में स्थायी रूप से कर्णांकित पदों के विरूद्ध वास्तविक रिक्ति उपलब्ध होने के उपरांत ही भविष्य में इस पद की अधियाचना आयोग को प्रेषित की जा सकेगी।

5. अस्थायी रूप से अतिरेक पदों के सृजन एवं इस पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरांत वास्तविक नियमित कार्यरत बल, वाहन चालक संवर्ग में समेकित कुल स्वीकृत बल की सीमा में रहने के कारण उक्त अतिरेक पदों के अस्थायी रूप से सृजन के फलस्वरूप राजकोष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय–भार नहीं होगा।

6. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द किशोर, प्रधान सचिव।

समाहरणालय सीतामढ़ी
(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश
20 दिसम्बर 2024

सं0 1883/स्था0, सीतामढ़ी––श्री रामबाबू पासवान, तत्कालीन बर्खास्त लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, सोनबरसा सम्प्रति निलंबित अंचल कार्यालय, बेलसंड को इस कार्यालय के ज्ञापांक–1939 सी0/स्था0, दिनांक–05.09.2003 द्वारा प्रखण्ड कार्यालय, सोनबरसा में पदस्थान के क्रम में सरकारी राशि के दुर्विनियोग एवं गबन का आरोप प्रमाणित होने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया था। बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध श्री रामबाबू पासवान, बर्खास्त लिपिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–6715/2007 श्री रामबाबू पासवान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया उक्त वाद में दिनांक–15.12.2011 को पारित आदेश के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–555/स्था0, दिनांक–27.04.2012 द्वारा श्री रामबाबू पासवान बर्खास्त प्रखण्ड लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, सोनबरसा का स्थापना अंचल कार्यालय, बेलसंड में निर्धारित करते हुए इनका मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, बेलसंड में निर्धारित किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–15.12.2011 के प्रभाव से जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान अगले आदेश तक किया जायेगा। इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान अनियोजन प्रमाण–पत्र तथा अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर अंचल अधिकारी, बलेसंड द्वारा किया जायेगा साथ ही नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, सीतामढ़ी को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन पूर्ण कर पत्रांक–154, दिनांक–28.01.2014 द्वारा अभिलेख अपने मंतव्य के साथ समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–6715/2007 रामबाबू

पासवान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–15.12.2011 के आलोक में आरोपी कर्मी श्री रामबाबू पासवान, तत्कालीन नाजीर, प्रखंड सोनबरसा के विरूद्ध गठित आरोपों की जांच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–341, दिनांक–24.03.12 के द्वारा श्री रामबाबू पासवान को आरोप पत्र की प्रति प्राप्त कराते हुए अपने बचाव में साक्ष्य कागजात के साथ कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना दी गयी। जिसे तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन पत्रांक–785, दिनांक–30.03.2012 के साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनबरसा के द्वारा भेजा गया है। उन्हें पुनः ज्ञापांक–530, दिनांक–19.04.2012 एवं पत्रांक–743, दिनांक–06.06.2012 के द्वारा साक्ष्य कागजात/कारण पृच्छा की मांग की गयी, उनके द्वारा तथाकथित रूप से चेक निर्गत पंजी के एक पृश्ठ की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए लिखित आवेदन समर्पित किया गया कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ0 महेन्द्र पाल स्वयं चेक पंजी एवं चेक बुक रखते थे तथा चेक निर्गत करते थें। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित नहीं होता है कि गठित आरोप के अनुसार गबन एवं अन्य वित्तीय अनियमितता के लिए श्री पासवान का कोई दोष नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कोई औचित्यपूर्ण साक्ष्य एवं कारण पृच्छा नहीं प्रस्तुत किया गया। वर्णित तथ्यों से स्पश्ट है कि लगाये गये आरोपों के विरूद्ध श्री रामबाबू पासवान तत्कालीन नाजीर कोई औचित्यपूर्ण साक्ष्य/कारण पृच्छा देने में असमर्थ है। फलस्वरूप रूपये– 23,45,473.09 (रूपये तेइस लाख, पैतालीस हजार, चार सौ तेहत्तर एवं पैसे नौ मात्र) के गबन का आरोप प्रमाणित होता है। आरोपी कर्मी श्री रामबाबू पासवान तत्कालीन नाजीर सोनबरसा को इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है तथा उन्हें देय सभी भुगतानों को जब्त करते हुए गबन की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाय की अनुशंसा की गयी है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त की गयी तथा श्री रामबाबू पासवान, तत्कालीन प्रखंड नाजीर, प्रखंड कार्यालय, सोनबरसा (सम्प्रति–निलंबित), अंचल कार्यालय, बेलसंड को इस कार्यालय के ज्ञापांक–802/स्था0, दिनांक–11.09.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि ''संचालन पदाधिकारी–सह–निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, सीतामढ़ी द्वारा ज्ञापांक–341, दिनांक–24.03.12 आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए साक्ष्य कागजात एवं कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया। जिसके अनुपालन में श्री पासवान द्वारा सदेह उपस्थित होकर आरोप पत्र के अनुसार बिन्दुबार कारण पृच्छा देते हुए उनसे अनुरोध किया कि साक्ष्य से संबंधित सभी सरकारी कागजात जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनबरसा के पास उपलब्ध है। इस प्रसंग में अनुरोध किया कि चुँकि इसमें मुझे अभियुक्त बनाया गया है इसलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनबरसा मुझे कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार श्री रामबाबू पासवान, तत्कालीन बर्खास्त लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, सोनबरसा (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय अंचल कार्यालय, बेलसंड द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में पूर्व समर्पित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है तथा कोई भी नया तथ्य नहीं रखा गया है इस प्रकार श्री रामबाबू पासवान द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया गया।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में श्री रामबाबू पासवान, निलंबित लिपिक, द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 6715/2007 में पारित आदेष दिनांक–15.12.2011 के आलोक में नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु नामित संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनसे सहमति व्यक्त की गयी एवं द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया गया तथा पाया गया कि आरोप पूर्णरूपेण प्रमाणित होता है।

अतः उपरोक्त प्रमाणिक आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण अपील नियंत्रण नियामवली 2005 की भाग–V नियम–14 के कंडिका (गप) में निहित प्रावधानानुसार **मैं रिची पाण्डेय, (भा0प्र0से0) समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी** यथा उपर वर्णित आरोपों के प्रमाणित होने के कारण श्री रामबाबू पासवान, तत्कालीन बर्खास्त लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, सोनबरसा (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय अंचल कार्यालय, बेलसंड को इस कार्यालय के ज्ञापांक–1939/सी0, दिनांक–05.09.2003 के द्वारा किये गये बर्खास्तगी आदेश को कायम रखते हुए पुनः सेवा से **बर्खास्तगी** का दण्ड अधिरोपित करता हूँ।

श्री रामबाबू पासवान लिपिक से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार हैः–

1.	नम	:–	श्री रामबाबू पासवान
2.	पिता का नाम	:–	स्व0 भगलू पासवान
3.	पदनाम	:–	लेखा लिपिक
4.	जन्म तिथि	:–	30.01.1965
5.	नियुक्ति की तिथि	:–	24.03.1986
6.	वेतनमान	:–	4000–6000
7.	स्थायी पता	:–	ग्राम+पोस्ट–मठवा, प्रखण्ड–रीगा, जिला–सीतामढ़ी।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता,
सीतामढ़ी।

वित्त विभाग

———————

अधिसूचना

27 मई 2025

सं0 1/स्था०(पदा०)–42/2024–6047/वि०––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०–9031 दिनांक–21.05.2025 द्वारा श्री आशीष कुमार वर्मा, आई०डी०ए०एस० (2012), सम्प्रति निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उनके द्वारा धारित पद का प्रभार त्याग किये जाने की तिथि से पैतृक विभाग (रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, रक्षा लेखा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली) में योगदान देने हेतु विरमित किया गया है।

2. उक्त के आलोक में निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना का प्रभार अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव, वित्त विभाग को सौंपा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्र नाथ गुप्ता, संयुक्त सचिव।

———————

VIGILANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF BIHAR
SOOCHNA BHAWAN, 4TH FLOOR, PATNA

———————

ORDER

The 21st May 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-06/2025--**3125**––On the basis of the details of property of **Dilip Kumar** furnished with the application given by the Vigilance Investigation Bureau for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against **Dilip Kumar, the then Forest Range Officer, Lakhisarai, Address-S/o-Late Jamuna Prasad, Vill-Mohidinagar, P.S-Biharsarif, District-Nalanda** who is named accused in Vigilance P.S Case No.-**54/2012 dated 23.07.2012** registered u/s 13(1)(e)**/**13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988**,** for confiscation of property worth **₹ 88,25,463/- (Eighty Eight Lakh Twenty Five Thousand Four Hundred Sixty Three Only)**which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009.

2. The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the abovesaid property of**Dilip Kumar.**

By Order,
Arvind Kumar Chaudhary,
Additional Chief Secretary to Government.

———————

VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I

———————

DECLARATION

The 21st May 2025

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-06/2025--**3126**––WHEREAS, It was alleged that**Dilip Kumar, S/o-Late Jamuna Prasad, Address-Vill-Mohidinagar, P.S-Biharsarif, District-Nalanda** while holding **the then Forest Range Officer, Lakhisarai,** in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13

of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No.-**54/2012 dated 23.07.2012**of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima faciecase of Commission of the**Dilip Kumar** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 ofSpecial Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shallbe dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

By the order of the Governor of Bihar,
(Sd/.) Illegible,
Additional Chief Secretary to Government.

———————

VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I

———————

DECLARATION
The 21st May 2025

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-04/2025**---3127---**WHEREAS, It was alleged that**Om Prakash Manjhi, S/o-Late Laxmi Manjhi, Vill-Rajapur, P.S-Ekma, District-Saran, Present Address-M.I.G-208, Hanuman Nagar, P.S.-Patrakar Nagar, District-Patna** while holding **the then Superintending Engineer, Rural Works Department, Work Circle, Muzaffarpur** in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No.-**145/2016 dated 19.12.2016** of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima faciecase of Commission of the**Om Prakash Manjhi** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 ofSpecial Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shallbe dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

Declaration Memo No.-2656 dated 28.04.2025 is hereby amended accordingly.

By the order of the Governor of Bihar,
(Sd/.) Illegible,
Additional Chief Secretary to Government.

VIGILANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF BIHAR
SOOCHNA BHAWAN, 4TH FLOOR, PATNA

ORDER

The 21st May 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-04/2025--**3128**––On the basis of the details of property of **Om Prakash Manjhi** furnished with the application given by the Vigilance Investigation Bureau for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against **Om Prakash Manjhi, the then Superintending Engineer, Rural Works Department, Work Circle, Muzaffarpur, S/o-Late Laxmi Manjhi, Vill-Rajapur, P.S-Ekma, District- Saran, Present Address-M.I.G-208, Hanuman Nagar, P.S.-Patrakar Nagar, District-Patna** who is named accused in Vigilance P.S Case No**145/2016 dated 19.12.2016** registered u/s 13(1)(e)/13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988**,** for confiscation of property worth **₹ 90,75,473/-(Ninty Lakh Seventy Five Thousand Four Hundred Seventy Three Only)**which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009.

2. The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the abovesaid property of**Om Prakash Manjhi.**

Order Memo No.-2655 dated 28.04.2025 is hereby amended accordingly.

By Order,
Arvind Kumar Chaudhary,
Additional Chief Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bihar.gov.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

————————

No. 485––I, Ashok Kumar Sinha S/o Late Ram Swaroop Sinha, R/o Bahari Begampur, Sidhe Bazar, P.O.-Begampur, Patna-800009, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-505 dt. 07.04.2025 that my name is written in my daughter Rajni Kumari Sinha's 10th educational documents as Ashoka Kumar Sinha. As per Aadhar Card, Pan Card my correct name is Ashok Kumar Sinha. Both names are same and one person. From now I will be known as Ashok Kumar Sinha for all purposes.

Ashok Kumar Sinha.

————————

No. 486––I, Rajni Kumari Sinha D/o Ashok Kumar Sinha, R/o Bahari Begampur, Sidhe Bazar, P.O.-Begampur, Patna-800009 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2470 dt. 01.04.2025 that my name is written in my Matric and Intermediate Certificates as Rajani Kumari Sinha which is wrong. As per vocational Part III Hons (BBM) Provisional Certificate my correct name is Rajni Kumari Sinha. Both names are same and one person. From Now I shall be known as Rajni Kumari Sinha for all purposes.

Rajni Kumari Sinha.

————————

सं0 487––मैं ओम कृपा राणा दिगिंद्र सिन्हा, पिता–स्वर्गीय हरि नंदन प्रसाद सिन्हा, निवास–द्वारिकापुरी हनुमान नगर, रोड नं0 04, कंकड़बाग, पटना। शपथ पत्र संख्या 1252 दिनांक 23.10.2024 के अनुसार राणा दिगिंद्र सिन्हा के नाम से जाना जाऊंगा।

ओम कृपा राणा दिगिंद्र सिन्हा।

No. 487––I, OM KRIPA RANA DIGINDRA SINHA, S/O-LATE HARI NANDAN PRASAD SINHA, RESIDING AR - DWARIKAPURI HANUMAN NAGAR ROAD NO 04, KANKARBAGH, PATNA WIDE AFFIDAVIT NO. 1252 DATED 23/10/2024. I SHALL BE KNOWN AS RANA DIGINDRA SINHA.

OM KRIPA RANA DIGINDRA SINHA.

————————

No. 488––I, Vijay Kumar, S/o Rameshwar Prasad, Mo-Dainik Jagran House No.-32, Urmila Sadam P And T Colony, Kidwaipuri Panta Bihar Pin code 800001 do solemnly affirm and declare that my name is written in Aadhar card as Bijay Kumar which is wrong. But my correct name is Vijay Kumar as my Pan card and etc. Above both names are same and one person. That I will be know as Vijay Kumar for all future purpose. Affidavit No. 1119, Date-24.04.2025.

Vijay Kumar.

No. 489––I, Parmanand Sah S/o Banarsi Sah R/o Hardiya Utkramit, Madhya Vidyalay, Ward No.-10 Chilmil Begusarai, Distt.-Begusarai, Bihar-851131 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 14213 dt. 28.03.25 that Rajnandani is my minor daughter. Her name is written in all educational documents as Rajnandani. As per Aadhar Card her correct name is Raj Nandani. Both names are same and one person. From now she will be known as Rajnandani for all purposes.

Parmanand Sah.

————————

सं0 490––मैं ऋचा पुत्री विजय कुमार दुबे, पता-महात्मा गाँधी नगर, बाजार समिति रोड, पोस्ट-गजाधरगंज, बक्सर, बिहार-802103 अब उपनाम जुड़ने के बाद ऋचा दुबे के नाम से जानी जाऊँगीं। शपथ पत्र संख्या 371 दि. 26.03.25.

ऋचा।

No. 490––I, RICHA D/o Vijay Kumar Dubey R/o Mahatma Gandhi Nagar Bazar Samiti Road, Post- Gajadhar Ganj, Buxar-802103 have added surname Dubey & now I will be known as Richa Dubey vide affidavit no. 371 dtd. 26.03.25 for all purposes.

RICHA.

————————

No. 491––I, Subhash Giri (सुभाष गिरी) S/o Narayan Giri, Vill- Sebia, P.O.- Ghorpakari, Distt.-West Champaran- 841501 do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar my name has been wrongly written as Subhash Kumar (सुभाष कुमार) but my correct name is Subhash Giri (सुभाष गिरी) as my Pan Card and Election Id. That I will be know as Subhash Giri (सुभाष गिरी) for all future purposes. Affidavit No. 213, Date-24.04.2025.

Subhash Giri (सुभाष गिरी).

————————

No. 492––I, JAICHAND RAM S/O GIRIJA RAM, R/O. VILL KOTA, P.O-DIGHITA, KUCHHILA, KAIMUR BIHAR-821112 DO HEREBY SOLEMNLY AFFIRM AND DECLARE AS PER AFFIDAVIT NO 4395 DATED 06.08.2024 THAT MY NAME IS MENTIONED IN MY AADHAR CARD AS JAI CHAND RAM WHICH IS WRONG AS PER MATRIC, INTERMEDIATE ALL DOCUMENTS MY CORRECT NAME IS AND GRADUATION JAICHAND RAM. FROM NOW I WILL BE AND RECOGNISE BY JAICHAND RAM FOR ALL PURPOSES.

JAICHAND RAM.

————————

सं0 493––मैं राजेश रजक पिता श्री हरदेव रजक निवासी-ग्राम+पो.-लखमोहना, थाना-नेमदारगंज, जिला-नवादा बिहार शपथ पत्र सं. 100 दिनांक 09.01.25 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम राजेश रौशन अंकित है जो गलत है। पैन कार्ड एवं आवासीय प्रमाण- पत्र के अनुसार मेरा सही नाम राजेश रजक है।

राजेश रजक।

No. 494––I, Santosh Kumar S/o Chandrika Sharma R/o Ashok Nagar, Road No.-01, Kankarbagh Patna, Bihar- 800020 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-774 dt. 10.02.25 that my name is written in my minor Son Sumit Kumar's 10th all educational documents as Santosh Kumar Sharma which is wrong. From now I Shall be known as Santosh Kumar for all purposes.

Santosh Kumar.

————————

No. 495––I, Rinku Kumari W/o Santosh Kumar R/o Ashok Nagar Road No.-01 Kankarbagh Patna Bihar -800020 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 775 dt. 10.02.25 that my name is written in my minor Son Sumit Kumar's 10th all edeucational documents as Rinku Devi which is wrong. From now I shall be known as Rinku Kumari for all purposes.

Rinku Kumari.

————————

No. 496––I, Faiyaj Alam S/o Md. Islam Miyan. R/o Village-Dhekahan P.O.-Dhekahan Bazar, P.S.-Motihari (Muffasil) East Champaran Bihar-845401 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1281 dt. 28.03.25 that my name is written in my Aadhar Card as Faiyaz Alam where as in educational documents written as Faiyaj Alam which is correct. Both names are same and one person. From now I will be known as Faiyaj Alam for all purposes.

Faiyaj Alam.

————————

No. 499––I Gita Kumari D/o Ramashish Mahto, R/o Mohiuddinpur, P.O+P.S-Warisliganj, Distt.-Nawada, Pin-805130 (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit no.-98 dated on 05.05.2025. That in my daughter's educational certificate her name is written as Anushka. But in her Aadhar and Birth Certificate her name is mentioned as Anushka Mehta. That from now she will be known as Anushka Mehta for her all legal purposes.

Gita Kumari.

————————

No. 500––I SANJAY SAH, (संजय साह) S/O VISHUNDAYAL SAH, Resident of Village +P.o.-Paterha, P.s-Maharajganj Dist-Siwan, Bihar do hereby solemnly affirm and declare As per Affidavit no. 2535 Dated 30.04.2025 That my name is mentioned in my Aadhar card and pan card as SANJAY SAH is correct that my Son's JITENDRA KUMAR (जितेन्द्र कुमार) 10th Matriculation Educational documents my name has been wrongly mentioned as SNJAY KUMAR SAH. that the SANJAY SAH and SANJAY KUMAR SAH. both names are same and one person. that I will be known as SANJAY SAH (संजय साह) for All future purpose.

SANJAY SAH, (संजय साह).

————————

सं0 501––मैं अंजली कुमारी पिता प्रदीप कुमार गिरी, निवासी-महल्ला-गोसा खाप, पो.-रसूलपुर, धाना-अमनौर, जिला-सारण, बिहार शपथ पत्र सं. 476 दिनांक 15.04.2025 द्वारा सूचित करती हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अंजली कुमारी है। जन्म प्रमाण पत्र में अंजली गिरी है दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। भविष्य में अब मैं अंजली गिरी के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

अंजली कुमारी।

No. 502--I, Sunita Kumari W/o Ajay Paswan R/o Village-Karup, P.O.-Malwar, P.S.-Shio Sagar, Rohtas, Bihar-821113 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 13347 dt. 10.03.25 that my name is written in my Aadhar, Pan Card and election ID my name is written as Sunita Devi. As per all educational documents my ture/correct names in written as Sunita Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Sunita Kuamri for all purposes.

Sunita Kumari.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bihar.gov.in

बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 08/आरोप–01–24/2021 सा०प्र०–7177
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
22 अप्रील 2025

श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–187/2019 (60/2023), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1581 दिनांक 01.04.2022 द्वारा प्रमादी मिलरों से नियमानुसार बैंक गारन्टी/Deed of Pledge प्राप्त नहीं करने के कारण सरकार को हुए आर्थिक क्षति संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–7157 दिनांक 12.05.2022 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक–168 दिनांक 31.01.2023) समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–3564 दिनांक 21.02.2023 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2714 दिनांक 21.06.2023 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए मामले की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–14444 दिनांक–28.07.2023 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

जाँच आयुक्त–सह–सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–178/अनु0 दिनांक–31.07.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र में वर्णित आरोप प्रत्यक्षतः अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन से कतिपय बिंदु पर असहमति व्यक्त की गई। तदुपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (1) के आलोक में असहमति का बिन्दु गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–17113 दिनांक 22.10.2024 द्वारा इस मामले में अग्रत्तर जाँच हेतु जाँच आयुक्त को वापस किया गया।

उक्त के क्रम में जाँच आयुक्त सह–सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–53 दिनांक–24.02.2025 द्वारा पूरक जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। पूरक जाँच प्रतिवेदन में श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र० से०, कोटि क्रमांक–60/2023 (187/2019) तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के आलोक में पूर्व में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के क्रम में गठित असहमति के बिंदु को भी अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री सिंह के विरूद्ध प्राप्त आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/पूरक जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन/पूरक जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/पूरक जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री वकील प्रसाद सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–187/2019 (60/2023) तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त को प्रतिवेदित आरोप से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संकल्प ज्ञापांक–14444 दिनांक–28.07.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश प्रसाद, अवर सचिव।

सं0 08/आरोप–01–11/2014, सा०प्र०––6173

---

7 अप्रील 2025

श्रीमती श्वेता मिश्रा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 596/23, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, आरा सदर, भोजपुर के विरूद्ध दाखिल खारिज अपीलवाद संख्या–267, 268, 269, 270 एवं 271 वर्ष 2023–24 की स्वीकृति हेतु रिश्वत की माँग करने, बिना पूर्व सूचना के Preponed कर अपीलवादों की सुनवाई कर अस्वीकृत करने, निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की छायाप्रति जानबुझकर अंचलाधिकारी, सदर आरा के स्थान पर अंचलाधिकारी, उदवंतनगर को भेजने एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, आरा सदर भोजपुर के कार्यालय में फर्जी ढ़ंग से बाहरी व्यक्तियों/सेवानिवृत्त कर्मियों को काम करते हुए पाये जाने इत्यादि आरोपों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1267 दिनांक 26.07.2024 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप–पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–13506 दिनांक 27.08.2024 द्वारा श्रीमती मिश्रा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्रीमती मिश्रा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरांत श्रीमती मिश्रा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17(2) के संगत प्रावधानो के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16788 दिनांक 17.10.2024 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध श्रीमती मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 17506/2024, श्वेता मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2025 को पारित न्यायादेश में श्रीमती मिश्रा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प ज्ञापांक–16788 दिनांक 17.10.2024 को निरस्त कर दिया गया । दिनांक 23.01.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"---------- 26. I find that the Appeals filed by the complainant was dismissed by the petitioner in discharge of her quasi judicial power. The complainant instead of filing an application before the Collector/Additional Collector within 30 days for approval or revision of the order in aforesaid mutation appeals under Section 9 of Bihar Land Mutation Act, 2011 (as amended upto date) has preferred the present writ petition.

27. In the present case, it can be said that the very foundation of allegations don't constitute misconduct and in light of law laid down in Davindra Pal Singh Bhullar & Ors (Supra), any further proceeding cannot be sustained in the eye of law.

28. In view of the above facts and circumstances and discussions made hereinabove, as well as, in light of the aforementioned judgments, the Resolution contained in Memo No- 16788 dated 17-10-2024, decision of the Disciplinary Authority for initiating Departmental Proceeding, is hereby set aside and quashed.

29. The authorities are required to take corrective measures in accordance with law.

30. Accordingly, the writ petition is allowed.

31. There shall be no order as to costs."

CWJC No- 17506/2024 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 के विरूद्ध LPA दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०–17506/2024 में दिनांक 23.01.2025 को पारित न्यायादेश एवं विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में पूरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के

स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत श्रीमती मिश्रा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्रीमती श्वेता मिश्रा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 596/23, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, आरा सदर, भोजपुर सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प ज्ञापांक–16788 दिनांक 17.10.2024 को वापस लिया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश प्रसाद, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10—571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bihar.gov.in